इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 जनवरी 2017—पौष 27, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्र. 910-13-इक्कीस-अ-(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 14 जनवरी, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २०१७

मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, २०१६.

[दिनांक १४ जनवरी, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १७ जनवरी, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, १९८३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, १९८३ (क्रमांक २९ सन् १९८३) की धारा २ में, उपधारा (१) में, खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(झ) "संकर्म संविदा" से अभिप्रेत है किसी भवन या अधिरचना (सुपरस्ट्रक्चर), बांध, मेड़, नहर, जलाशय, तालाब, झील, सड़क, कुआं, पुल, पुलिया, कारखाना, कर्मशाला, बिजलीघर, ट्रांसफार्मर अथवा राज्य सरकार या लोक उपक्रमों अथवा राज्य के निगमों के ऐसे अन्य संकर्मों के, जिन्हें कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, सन्निर्माण, उनकी मरम्मत या उनके अनुरक्षण से सम्बन्धित किसी संकर्म के, चाहे वह किसी भी प्रक्रम पर हो, निष्पादन के लिए कोई लिखित करार या आशय पत्र (लैटर ऑफ इंटेन्ट) अथवा कार्य आदेश (वर्क आर्डर) जो राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी पदधारी द्वारा अथवा लोक उपक्रमों या निगमों द्वारा अथवा ऐसे निगमों अथवा ऐसे लोक उपक्रमों के लिए तथा उनकी ओर से राज्य सरकार के किसी पदधारी द्वारा किया गया है अथवा जारी किया गया है और इसमें सम्मिलित है माल या सामग्री की आपूर्ति के लिए कोई करार तथा उक्त कार्यों में से किसी भी कार्य के निष्पादन से संबंधित अन्य विषय और इसमें उपरोक्त कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए इस प्रकार भाड़े पर ली गई सेवाएं भी सम्मिलित हैं और इसमें राज्य सरकार या लोक उपक्रमों या निगमों द्वारा इस प्रकार किए गए समस्त रियायती करार भी सम्मिलित होंगे भले ही उनमें राज्य की सहायता सम्मिलित हो अथवा न हो;".

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्र. 910-13-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 7 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 7 OF 2017

THE MADHYA PRADESH MADHYASTHAM ADHIKARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016.

[Received the assent of the Governor on the 14th January, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 17th January, 2017.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983), in sub-section (1), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—

"(i) "works-contract" means an agreement in writing or a letter of intent or work order issued for the execution of any work relating to construction, repair or maintenance of any building or superstructure, dam, weir, canal, reservoir, tank, lake, road, well, bridge, culvert, factory, work-shop, powerhouse, transformer or such other works of the State Government or public undertakings or of the Corporations of the State as the State Government may, by notification, specify in this behalf at any of its stages, entered into by the State Government or by any official of the State Government or by public undertakings or Corporation or by any official of the State Government for and on behalf of such Corporation or public undertakings and includes an agreement for supply of goods or material and all other matters relating to execution of any of the said works and also includes the services so hired for carrying out the aforesaid works and shall also include all concession agreement, so entered into by the State Government or public undertakings or Corporation, wherein a State support is involved or not;".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.